

वर्ष 2017-18 के लिए महिला एसएचजी को वार्षिक 7 प्रतिशत की दर पर 3 लाख रुपए तक के ऋण उधार देने पर ब्याज सबवेंशन दावा

बैंक का नाम :

----- से ----- तक की अवधि के लिए दावों का विवरण : 3 लाख रुपए तक संवितरित / बकाया ऋण

----- से ----- तक की अवधि के दौरान खोले गए नए खाते		----- को बकाया (पूर्ववर्ती अवधि की समाप्ति)		----- को कुल बकाया		ब्याज सबवेंशन की राशि
खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	राशि

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि वर्ष 2017-18 में उपरोक्त वितरण/ बकाया पर महिला एसएचजी को 3 लाख रुपए तक के ऋणों पर वार्षिक 7 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया गया। हम प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त दावाकृत राशि और खाते केवल संवर्ग - I के जिलों से हैं और सभी दावाकृत खाते रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज सबवेंशन के पात्र हैं। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि दावों में दोहराव नहीं है और नियमित दावा अथवा आगे शाखा स्तर से अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन दावा मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम रखते हुए प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(वर्ष के लिए समेकित यह दावा फार्मेट सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित और आगामी वित्तीय वर्ष के 30 जून के भीतर 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही के लिए दावों के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है)